झारखण्ड विधान-सभा

राँची नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

राँची नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

खण्ड ।

प्रस्तावना ।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ ।

2. राँची नगर निगम (संशोधन एवं अंगीकरण) अधिनियम, 2001 की धारा 8 की उप-धारा-2 में संशोधन ।

3. राँची नगर निगम अधिनियम, 2001 की दण्ड संबंधी धारा का संशोधन ।

4. निरसन एवं व्यावृत्ति ।

राँची नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

राँची नगर निगम (अंगीकृत एवं संशोधित) अधिनियम, 2001 का संशोधन करने हेतु विधेयक ।-

प्रस्तावना ।- वर्त्तमान में पटना नगर निगम अधिनियम , 1951 जो झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत है , की दण्ड संबंधी धाराओं 69(1)(a)(b) , 135(1)(2) , 237(2) , 242(1) , 244(2) , 244(5)(b) , 245 , 247(2) , 272(3) , 274 , 275 , 276(1) , 276(2) , 278, 279(3) , 280 , 283(2) , 287 , 288(3) , 291(2) , 292(2) , 296 , 298(2) , 301 , 303A(2) , 328(2) , 329(3) , 331(2) , 333(2) , 336(3) , 361(1) , 362 , 363 , 369 , 390(2) , 392 (2), 397 , 405 , 406 , 407(3) , 408(4) , 410(2) , 412(2) , 413(2) , 414(2) , 425(2) , 429 , 430(7) , 449(2) , 449(3) , 452(1) , 452(2) , 454(4) , 464(3) , 469(1)(b), 469(2), 471(2)(d) एवं 472 में राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत देय नागरिक सुविधा से संबंधित नियमों के उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान किया गया है जिसमें दण्ड राशि का उल्लेख किया गया है । प्रत्येक धारा में दण्ड की राशि अलग-अलग तय है । वर्त्तमान में दण्ड की राशि का मूल्यांकन कम होने के कारण दण्ड की राशि का भुगतान करने में नागरिकों को कोई परेशानी नहीं होती है । चूँकि वर्त्तमान में पैसे का अवमूल्यन/मूल्य ह्रास हो चुका है । अतएव दण्ड की राशि में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है । इससे एक ओर निगम के राजस्व में वृद्धि होगी एवं दूसरी ओर नागरिकों में जन-चेतना में भी वृद्धि होगी ।

पटना नगर निगम अधिनियम -1951 (अंगीकृत) में नगर निगम में वार्ड आयुक्तों के कितने पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगें, इसका प्रावधान नहीं है । अतएव राँची नगर निगम (संशोधन एवं अंगीकरण) अधिनियम -2001 की धारा 8की उप धारा 2(a) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए वार्ड आयुक्तों के पद पचास प्रतिशत की सीमा तक आरक्षित होगें।

इसलिए, भारत गणराज्य के 57वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम , प्रसार और प्रारंभ :-

(i) यह अधिनियम "राँची नगर निगम अधिनियम (संशोधन) अधिनियम -2006" कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत होगा ।

(iii) यह तुरंत प्रवृत होगा ।

2. **राँची नगर निगम (संशोधन एवं अंगीकरण) अधिनियम-2001की धारा 8 की उपधारा-2 में**

संशोधन :-

कितने पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगें, इसका प्रावधान नहीं है । अतएव राँची नगर निगम (संशोधन एवं अंगीकरण) अधिनियम 2001की धारा 8 की उप धारा 2(a) में वर्णित शब्द **"कुल जनसंख्या से है"** के पश्चात एवं **"और ऐसे स्थान"** के पूर्व निम्न वाक्यांश अंतःस्थापित किया जायेगा -

"परन्तु आरक्षित सीटों की संख्या नगर निगम की सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत तक सीमित रहेगा "

3. **राँची नगर निगम अधिनियम , 2001 की दण्ड संबंधी धारा का संशोधन :-**

(i) धारा - 69(1)(a) में अंकित एक हजार रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये एवं पाँच हजार रूपये के स्थान पर पचास हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ii) धारा - 69(1)(b) में अंकित पाँच हजार रूपये के स्थान पर पच्चास हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iii) धारा - 135(1) में अंकित बीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये एवं पाँच रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iv) धारा - 135(2) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(v) धारा - 237(2) में अंकित एक हजार रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये एवं पचास रूपये के स्थान पर पाँच सौ रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(vi) धारा - 242(1) में अंकित पाँच सौ रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पाँच सौ रूपये प्रतिवर्गफीट प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(vii) धारा - 244(2)(बी) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(viii) धारा - 244(5)(बी) में अंकित पच्चीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ix) धारा - 245 में अंकित पचास रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(x) धारा - 247(2) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये एवं बीस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xi) धारा - 272(3) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये एवं पाँच रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xii) धारा - 274 में अंकित दस रूपये के स्थान पर एक हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xiii) धारा - 275(1) में अंकित बीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xiv) धारा - 276(1) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xv) धारा - 276(2) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xvi) धारा - 278 में अंकित बीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xvii) धारा - 279(3) में अंकित पच्चास रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये एवं पाँच रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xviii) धारा - 280 में अंकित पच्चीस रूपये के स्थान पर पाँच सौ रूपये एवं पचास रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xix) धारा - 283(2) में अंकित बीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xx) धारा - 287 में अंकित पच्चास रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxi) धारा - 288(3) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर पॉंच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxii) धारा - 291(2) में अंकित बीसरूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxiii) धारा - 292(2) में अंकित पच्चीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxiv) धारा - 296 में अंकित पच्चीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxv) धारा - 298(2) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxvi) धारा - 301 में अंकित पच्चास रूपये के स्थान पर पॉंच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxvii) धारा - 303A(2) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये एवं पाँच रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxviii) धारा - 328(2) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxix) धारा - 329(3) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये एवं पच्चास रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पाँच सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxx) धारा - 331(2) में अंकित पच्चास रूपये के स्थान पर पाँच हजाररूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxi) धारा - 333(2) में अंकित पच्चास रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxii) धारा - 336(3) में अंकित पच्चास रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxiii) धारा - 361(1) में अंकित दो रूपये के स्थान पर एक सौ रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxiv) धारा - 362 में अंकित दो सौ पचास रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxv) धारा - 363 में अंकित दो सौ पचास रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxvi) धारा - 369 में अंकित दो सौ पचास रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxvii) धारा - 390(2) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर आठ हजार रूपये एवं चालीस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पाँच सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxviii) धारा -392(2) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर आठ हजार रूपये एवं पचास रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक हजार रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxix) धारा - 397 में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xL) धारा - 405 में अंकित पॉच सौ रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये एवं एक सौ रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक हजार रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLi) धारा - 406 में अंकित पच्चीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLii) धारा - 407(3) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये एवं पचास रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पाँच सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLiii) धारा - 408(4) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLiv) धारा - 410 (2) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLv) धारा - 412(2) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLvi) धारा - 413(2) में अंकित एक सौ रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLvii) धारा - 414(2) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर एक हजार रूपये, पाँच सौ रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये एवं दो सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLviii) धारा - 425(2) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये एवं पचास रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पाँच सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLix) धारा - 429 में अंकित दो सौ पचास रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये एवं पच्चीस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(L) धारा - 430(7) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Li) धारा - 449(2) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lii) धारा - 449(3) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Liii) धारा - 452(1) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Liv) धारा - 452(2) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lv) धारा - 454(4) में अंकित दस रूपये के स्थान पर एक हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lvi) धारा - 464(3) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lvii) धारा - 469(1)(बी) में अंकित बीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lviii) धारा - 469(2) में अंकित बीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lix) धारा – 471(2)(डी) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lx) धारा – 472 में अंकित पच्चीस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

4. **निरसन एवं व्यावृति :–**

(i) निरसन – राँची नगर निगम (अंगीकृत एवं संशोधित) अधिनियम–2001 की दण्ड संबंधी धाराओं के संशोधन, प्रतिस्थापन एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु प्रावधान करने के लिए राँची नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश–2006 (झारखण्ड अध्यादेश, 03, 2006) को इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(ii) व्यावृति – ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेद्दा के द्वारा अथवा के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अथवा कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया था अथवा की गई थी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था, जिस दिन यह कार्य किया गया था अथवा कार्रवाई की गयी थी ।

यह विधेयक राँची नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2006 दिनांक 22 अगस्त, 2006 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 22 अगस्त, 2006 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष ।